UPHR010029062025

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–4, हरदोई।

उपस्थित–यशपाल, (एच०जे०एस०)

जे० ओ० कोड–यू०पी० 1867

इजराय वाद संख्या–01/2025

सहकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम लि० बनाम सचिव नेशनल सहकारी आवास समित लि० आदि

दिनांक–13.03.2026

1. पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर डिक्रीदार की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

2. पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 27.02.2026 को डिक्रीदार को यह निर्देशित किया गया था कि वह प्रस्तुत प्रकरण में जारी आर्बिट्रेशन अवार्ड के निष्पादन के संबंध में स्थिति स्पष्ट करें। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली में जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है, वह बिना स्टाम्प है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा–35 के अंतर्गत बिना स्टाम्प वाला दस्तावेज साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं है। **एनएन ग्लोबल मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड और अन्य (अप्रैल 2023)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया गया था कि बिना स्टाम्प वाला समझौता वैध तो है, लेकिन न्यायालय में, साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं है। परंतु डिक्रीदार की ओर से कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है तथा आर्बिट्रेशन अवार्ड को प्रवर्तनीय बताया है।

3. न्यायालय के मत में उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में इजराय वाद बिना स्टाम्प वाला आर्बिट्रेशन अवार्ड प्रवर्तनीय नहीं किया जा सकता है। तदनुसार इजराय वाद खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

4. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में इजराय वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(यशपाल)
अपर जिला न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–4,
हरदोई।
जे०ओ० कोड–यू०पी० 1867

Digitally signed by YASHPAL
Date: 2026.03.13 13:04:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court